

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241110 CG-DL-E-15122022-241110

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944
No 786]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 880(अ).—लोक परिसर (अनिधकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दशाई गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के 06 (छह) अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारीगण, उक्त तालिका के कॉलम (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों से संबंधित अपने संबद्ध कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा ''संपदा अधिकारी" को अधिरोपित कर्तव्यों का निष्पादन, करेंगे :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमा	कार्यकाल
	श्री मणिपुष्पक सेठी,	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के गांधीधाम और कंडला स्थित सभी भूमि और परिसर	
	अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक)	जो उनके स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और प्रबंधन में हैं	हो
	श्री हेमंतकुमार भास्कर, अधिशासी अभियंता (सिविल)	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कंडला स्थित सभी भूमि और परिसर जो उनके	

	1	T	
		स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और प्रबंधन में	हो
		व िंह	
3.	श्री हितेश ठक्कर, वरिष्ठ लेखा	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के गांधीधाम	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे
	अधिकारी	और कंडला स्थित सभी भूमि और परिसर	सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले
		जो उनके स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और	हो
		प्रबंधन में हैं	("
4.	श्री जिगर ठक्कर, वरिष्ठ लेखा	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के गांधीधाम	पॉंच वर्ष अथवा जब तक वे
	अधिकारी अभिकारी	और कंडला स्थित सभी भूमि और परिसर	सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले
		जो उनके स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और	हो
		प्रबंधन में हैं	("
5.	श्री तुषारकुमार पटेल, सहायक	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के गांधीधाम	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे
	यातायात प्रबंधक (ग्रेड-1)	और कंडला स्थित सभी भूमि और परिसर	सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले
	41(1141(1 2444) (20-1)	जो उनके स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और	हो
		प्रबंधन में हैं	("
6.	श्री एम.ए. जाधव, सहायक	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के वाडीनार	पॉंच वर्ष अथवा जब तक वे
	्र अधिशासी अभियंता (सिविल)	स्थित सभी भूमि और परिसर जो उनके	सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले
		स्वामित्व के अधीन नियंत्रण और प्रबंधन में	हो
		हैं	("

2. उक्त नियुक्तियां सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा.सं. ए-12011/8/2019-पीई.II]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2022

G.S.R. 880(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the 6 (six) officers mentioned in the Column (2) of the Table below, being the officers of the Deendayal Port Authority, to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officers' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Name & Designation of the	Limits of Jurisdiction	Tenure
110.	Officer		
1	2	3	4
1.	Shri Manipushpak Sethi,	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	Suptd. Engineer (Mech)	ownership, control and Management of the	or till he remains in
		Deendayal Port Authority at Gandhidham and	service, whichever is
		Kandla	earlier
2.	Shri Hemantkumar Bhaskar,	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	Executive Engineer (Civil)	ownership, control and Management of the	or till he remains in
		Deendayal Port Authority at Kandla	service, whichever is
			earlier
3.	Shri Hitesh Thakkar, Senior	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	Accounts Officer	ownership, control and Management of the	or till he remains in
		Deendayal Port Authority at Gandhidham and	service, whichever is
		Kandla	earlier

			1
4.	Shri Jigar Thakkar, Senior	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	Accounts Officer	ownership, control and Management of the	or till he remains in
		Deendayal Port Authority at Gandhidham and	service, whichever is
		Kandla	earlier
5.	Shri Tusharkumar Patel,	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	Asstt. Traffic Manager	ownership, control and Management of the	or till he remains in
	(GrI)	Deendayal Port Authority at Gandhidham and	service, whichever is
		Kandla	earlier
6.	Shri M A Jadhav, Asstt. Ex-	All lands & premises belonging to and under the	For a period of five years
	ecutive Engineer (Civil)	ownership, control and Management of the	or till he remains in
		Deendayal Port Authority at Vadinar.	service, whichever is
			earlier

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/8/2019-PE.II]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.